प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है जो ऐसी आय जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है, से संबंधित है ।

उक्त खंड 4 का उपखंड (ख) उक्त धारा में एक नया उपखंड (45) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सेवानिवृत्त अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को संदत्त ऐसे किसी भत्ते या परिलब्धि को, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, इस निमित्त अधिसूचित की जाए, छूट प्रदान की जा सके ।

खंड 4 का उपखंड (ग) उक्त धारा में एक नया खंड (46) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग, को जो जनसाधारण के फायदे के लिए किसी क्रियाकलाप को विनियमित या प्रशासित करने के उद्देश्य से किसी केंद्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित या स्थापित किया जाता है या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा गठित किया गया है, यदि वह वाणिज्यिक क्रियाकलाप में नहीं लगा है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विहित किया गया है, उद्भूत होने वाली कोई विनिर्दिष्ट आय छूट प्राप्त होगी । उक्त खंड (46) का स्पष्टीकरण केंद्रीय सरकार को ऐसे निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग की ऐसी आय की, जो विनिर्दिष्ट आय का गठन करेगी, प्रकृति और सीमा अधिसूचित करने के लिए समर्थ बनाता है ।

उपखंड (ग) उक्त धारा 10 में एक नया खंड (47) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है जिससे केंद्रीय सरकार को किसी ऐसी अवसंरचना ऋण निधि को अधिसूचित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके, जो ऐसे दिशा निर्देशों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, गठित की जाती है और ऐसी अधिसूचित निधि की आय, आय-कर से छूट प्राप्त होगी ।

विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार संबंधी व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त उपधारा (5) में एक नया खंड (कघ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कारबार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे दिशा निर्देशों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना के विकास और निर्माण की प्रकृति का है वहां प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2011 की या उसके पश्चात् की होगी ।

इसके अतिरिक्त प्रस्तावित संशोधन, पूर्वोक्त उपधारा (8) के खंड (ग) में एक नया उपखंड (vii) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे "विनिर्दिष्ट कारबार" की परिधि के भीतर, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा विरचित और बोर्ड द्वारा ऐसे दिशानिर्देशों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त अधिसूचित किसी वहनीय आवास स्कीम के अधीन किसी आवास परियोजना के विकास और निर्माण के कारबार को भी सम्मिलित किया जा सके ।

विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 92ग का संशोधन करने के लिए है जो असन्निकट कीमत की संगणना से संबंधित है ।

धारा 92ग की उपधारा (2) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि यथा अवधारित असन्निकट कीमत और उस कीमत, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वास्तव में किया गया है, के बीच का अंतर पश्चात्वर्ती के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो वह कीमत, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार वास्तव में किया गया है, असन्निकट कीमत समझी जाएगी ।

धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुज्ञेय अंतर ऐसा प्रतिशत होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ।

विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 94क अंतःस्थापित करने के लिए है जो अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित व्यक्तियों के साथ संव्यवहारों की बाबत विशेष उपायों से संबंधित है ।

उपधारा (1) केंद्रीय सरकार को, उसके द्वारा सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान के अभाव को ध्यान में रखते हुए भारत के बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र की अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अधिसूचित करने के लिए समर्थ बनाता है ।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि आय-कर अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी वित्तीय संस्था को किए गए किसी संदाय की बाबत कोई कटौती तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती बोर्ड या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी को उक्त वित्तीय संस्था से सुसंगत जानकारी लेने के लिए प्राधिकृत करते हुए विहित प्ररूप में एक प्राधिकार प्रस्तुत करता है और किसी अधिसूचित अधिकारिता वाले क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार से होने वाले किसी अन्य व्यय या मोक (जिसके अंतर्गत अवक्षयण भी है) की बाबत कोई कटौती अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन तभी अनुज्ञात की जाएगी जब निर्धारिती ऐसे अन्य दस्तावेज रखता है और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करता है, जो विहित की जाए ।

विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12खक (जिसमें नई धारा 115ञग, 115ञघ, 115ञङ और 115ञच है), अंतःस्थापित करने के लिए है, जिसमें कतिपय सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित विशेष उपबंध अंतर्विष्ट हैं ।

प्रस्तावित नई धारा 115ञग यह उपबंध करती है कि ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी जिसको वह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, यह प्रमाणित करते हुए कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगा।

विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम की धारा 131 का संशोधन करने के लिए है जो प्रकटन, साक्ष्य के पेश किए जाने, आदि के संबंध में शक्ति से संबंधित है ।

पूर्वोक्त धारा में यह उपबंध करने के लिए एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की बाबत कोई जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए आय-कर सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति के किसी आय-कर प्राधिकारी के लिए जो, बोर्ड द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए । आय-कर प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का, इस बात के होते हुए भी प्रयोग करना सक्षम होगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में कोई कार्यवाहियां उसके या किसी अन्य आय-कर प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं हैं ।

विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है जो आय की विवरणी से संबंधित है ।

प्रस्तावित संशोधन एक नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने के लिए है जो केंद्रीय सरकार को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को, ऐसी शर्तों को ध्यान में रखते हुए जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285 अंतःस्थापित करने के लिए है, जो किसी ऐसे अनिवासी द्वारा, जिसका संपर्क कार्यालय है, विवरण प्रस्तुत किए जाने से संबंधित है ।

प्रस्तावित नई धारा 285 यह उपबंध करती है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अनिवासी है, जिसका भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गठित किया गया कोई संपर्क कार्यालय है, किसी वित्तीय वर्ष में अपने क्रियाकलापों की बाबत ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों वाला, जो विहित की जाएं, एक विवरण तैयार करेगा और अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

विधेयक का खंड 37 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है । उक्त धारा की उपधारा (6) बोर्ड को विनियमों द्वारा आयातित माल या निर्यात माल के शुल्क के निर्धारण की संपरीक्षा की रीति, जिसके अंतर्गत उचित अधिकारी का कार्यालय या आयातकर्ता या निर्यातकर्ता के परिसर पर संपरीक्षा किया जाना भी है, विहित करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 45 सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 का इस दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को, उन परिस्थितियों और शर्तों का, जिनके अधीन शुल्क की वापसी की, निर्यातकर्ता द्वारा विक्रय आगमों को वसूल न किए जाने की दशा में भी, वसूली नहीं की जाएगी, उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके ।

विधेयक के खंड 70 का उपखंड (ढ) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93क के परंतुक का इस दृष्टि से संशोधन करने के लिए है जिससे केंद्रीय सरकार को उन परिस्थितियों और शर्तों का, जिनके अधीन केंद्रीय सरकार रिबेट की उस रकम को वसूल या समायोजित कर सकेगी जो कभी भी अनुज्ञात किया गया नहीं समझा जाएगा, उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके ।

वे विषय, जिनकी बाबत विधेयक के उपबंधों के अनुसार अधिसूचनाएं जारी की जा सकेंगी अथवा नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध किया जाना व्यवहार्य नहीं है ।

अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।